E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
IJPSG 2025; 7(8): 04-13
www.journalofpoliticalscience.com
Received: 09-06-2025
Accepted: 12-07-2025

डॉ. नैनिका कुमारी
राजनीति विज्ञान विभाग, सामाजिक विज्ञान संकाय, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार, भारत।

Corresponding Author:
डॉ. नैनिका कुमारी
राजनीति विज्ञान विभाग, सामाजिक विज्ञान संकाय, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार, भारत।

पंचायती राज संस्थानों की सहायता से ग्रामीण महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण : बिहार के संदर्भ में विश्लेषण

नैनिका कुमारी

DOI: https://www.doi.org/10.33545/26646021.2025.v7.i8a.611

सारांश

मानव विकास के इतिहास में स्त्री का महत्व पुरुष के समान ही रहा है। वास्तव में समाज में महिलाओं की स्थिति, रोजगार और उनके द्वारा किया गया कार्य किसी राष्ट्र की समग्र प्रगति का सूचक है। राष्ट्रीय गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी के बिना किसी देश की सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी। तथ्य यह है कि महिलाओं की अधिकांश घरेलू भूमिका आर्थिक गतिविधियों और परिवार के लिए अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए उनके कौशल और श्रम के उपयोग के साथ जुड़ी हुई है, जिससे परिवार एक सभ्य जीवन जी पाता है। महिलाएँ बहुत सारी जिम्मेदारियां साझा करती हैं और परिवार चलाने, पालन-पोषण, भोजन, कृषि श्रम में भाग लेने आदि जैसे घरेलू कार्यों को संभालने में कई तरह के कर्तव्यों का पालन करती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो महिलाओं को अब अधिक जिम्मेदारी से निभाने की आवश्यकता है, वह है राजनीति में उनकी सक्रिय भागीदारी। महिलाओं का राजनीतिक सशक्तीकरण उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक होना चाहिए और सरकार तथा समाज को महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में भाग लेने के लिए इस तरह के कदम उठाने चाहिए। इसके लिए स्थानीय स्वशासन में भागीदारी प्रारंभिक कदम है, क्योंकि वे ग्रामीण लोगों के अधिक निकट हैं। पंचायती राज संस्थाओं को हमेशा से सुशासन का साधन माना जाता रहा है और 73वां संविधान संशोधन इस उम्मीद में किया गया था कि इससे बेहतर शासन होगा और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं जैसे समाज के वंचित वर्ग को राजनीतिक स्थान मिलेगा। संसद द्वारा 73वाँ संविधान संशोधन ने संविधान के भाग-4 के राज्य के नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद-40 के संकल्पना को क्रियान्वित किया है। विकेन्द्रीकृत लोकतांत्रिक स्वशासन की जमीनी इकाइयों के रूप में काम करने वाली पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण भारत में सामाजिक-आर्थिक बदलाव का साधन माना गया है। यह शोध पत्र लोकतंत्र को मज़बूत करने, लोकतंत्र को समावेशी बनाने, लोकतंत्र में लैंगिक समानता को मज़बूत करने और महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने में पंचायती राज संस्थानों की भूमिका का मूल्याँकन करता है।

स्थानीय स्तर पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में निर्णय लेने तथा विकास की योजना तैयार करने में महिलाओं की भागीदारी के लिए दो महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इस संशोधन में प्रावधान किया गया है कि कम से कम एक तिहाई महिलाएँ पंचायतों की सदस्य तथा अध्यक्ष होंगी। ज़मीनी स्तर पर ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी सामाजिक-आर्थिक विकास लाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। पंचायती राज को सत्ता का विकेंद्रीकरण लोगों को सशक्त बनाने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उन्हें शामिल करने के साधन के रूप में देखा जाता है। स्थानीय सरकारें लोगों के करीब होने के कारण स्थानीय जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकती हैं और संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकती हैं। बिहार सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए कई ऐसे उपाय किए हैं जिसे अन्य राज्यों ने भी अंगीकार किया है। बिहार देश का प्रथम राज्य है जिसने वर्ष 2006 में महिलाओं को स्थानीय निकायों में सभी पदों पर पचास प्रतिशत आरक्षण दिया है। बिहार के इस सार्थक पहल से ग्रामीण शासन में लैंगिक असंतुलन खत्म हो गया है, लैंगिक रूढ़िवादिता टूट रही है। सशक्तीकरण का आनंद लेने वाली महिलाओं ने बदलाव लाना शुरू कर दिया है, क्योंकि यह धीरे-धीरे न केवल जमीनी स्तर की राजनीति में पुरुष-प्रधान माहौल को बदलने में मदद करेगा, बल्कि कार्यबल में उनकी बहुत जरूरी भागीदारी में भी सुधार करेगा। पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण ने निश्चित रूप से उनके सशक्तिकरण में योगदान दिया है, क्योंकि 2006 से उनके मतदान व्यवहार में बदलाव आया है। 2010 से लगातार मतदान में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक रही है। इसने लैंगिक भागीदारी और समानता के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत किया है और अब जमीनी स्तर की राजनीति में उनकी भागीदारी ऊपर की ओर दबाव बनाएगी। यह शोध पत्र बिहार सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को पचास प्रतिशत आरक्षण देने एवं इसके ग्रामीण महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण में योगदान का विश्लेषण करता है।

शब्द-कुंजी : महिला सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण, संविधान, संवैधानिक प्रावधान, 73वाँ संशोधन, पंचायती राज संस्थान, महिला आरक्षण, स्थानीय लोकतंत्र, महिला सहभागिता, पंचायती राज संस्थान, लैंगिक समानता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व

प्रस्तावना

लोकतंत्र को गहरा करने और लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है। इससे ठोस राजनीतिक और आर्थिक लाभ भी होते हैं।

शोध से पता चलता है कि राजनीति में अधिक महिलाओं की उपस्थिति से अधिक प्रभावी नीतिगत नतीजे, कम भ्रष्टाचार और कम संघर्ष होते हैं। महिला नेता श्रम बल में महिलाओं के अधिक समावेश को बढ़ावा देते हुए आर्थिक और विकासात्मक विकास को बढ़ावा देती हैं। वास्तव में, महत्वपूर्ण द्रव्यमान सिद्धांत के अनुसार, शासन संरचनाओं में एक निश्चित संख्या में महिलाओं की उपस्थिति, जिसे 'काफी अल्पसंख्यक' कहा जाता है, नीति को प्रभावित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

सिद्धांत राजनीति में महिला प्रतिनिधियों को 'महत्वपूर्ण द्रव्यमान' के रूप में संदर्भित करता है, जिनकी उपस्थिति से न केवल राजनीतिक और शासन परिदृश्य में उनकी उपस्थिति के संदर्भ में महिलाओं का वर्णनात्मक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होना चाहिए, बल्कि महिला आबादी के सशक्तीकरण के लिए ठोस नीति परिवर्तन भी होना चाहिए। भारत सहित कई देशों ने ऐतिहासिक असंतुलन और महिलाओं के राजनीतिक बहिष्कार से जुड़े सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को दूर करने के साधन के रूप में महिला कोटा अपनाया है ऐसे कोटा वाले देशों में स्थानीय सरकारों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व (7 प्रतिशत अंक) बिना कोटा वाले देशों की तुलना में अधिक है (घोष 2024, पृष्ठ संख्या-1)। जनवरी 2025 तक, 88 देशों ने स्थानीय चुनावों के लिए कानूनी लैंगिक कोटा लागू किया है।

भारत का 73वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम, जो 1993 में प्रभावी हुआ, ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय शासन संरचनाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई चुनावी सीटें आरक्षित कीं, जिन्हें पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के रूप में जाना जाता है। इसके अधिनियमन के तीस साल बाद, भारत, एक विविध और बहुस्तरीय संघीय राजनीति में, स्थानीय निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में 1.45 मिलियन से अधिक महिलाएँ हैं। भारत 2024 वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट में 129वें स्थान पर है, जिसने स्थानीय शासन में महिलाओं को शामिल करने को एक नए संकेतक के रूप में जोड़ा। सर्वेक्षण किए गए 146 देशों में से केवल 18 ने स्थानीय शासन में 40 प्रतिशत से अधिक महिलाओं का प्रतिनिधित्व हासिल किया है। भारत को स्थानीय शासन में महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी वाले देशों में स्थान दिया गया है (सभी निर्वाचित स्थानीय सरकार प्रतिनिधियों में से 44.4 प्रतिशत महिलाएं हैं), जो जर्मनी (30.3 प्रतिशत) और यूके (35.3 प्रतिशत) जैसे वैश्विक उत्तर के देशों और ब्राजील (15.7 प्रतिशत), इंडोनेशिया (15.7 प्रतिशत) और चीन (28.1 प्रतिशत) जैसे वैश्विक दक्षिण के समकालीन देशों से आगे है (विश्व बैंक 2024, पृष्ठ संख्या-2)। पिछले 50 वर्षों में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण में भारत विश्व स्तर पर 65 वें स्थान पर तथा महिला/पुरुष राष्ट्राध्यक्षों के बीच वर्षों की समानता में 10 वें स्थान पर है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में एक कदम आगे बढ़ते हुए संविधान (106 वां संशोधन) अधिनियम 2023 द्वारा लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित कर दी हैं, जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं।

स्थानीय शासन, विकास और लैंगिक समानता के बीच महत्वपूर्ण संबंध की मान्यता बढ़ रही है। महिलाएँ स्थानीय प्राथमिकताओं पर जोर देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, विकास के परिणामों पर प्रभाव डालती हैं और विकेंद्रीकृत शासन की भावना में सतत विकास सुनिश्चित करने में आवश्यक हैं (सुकुमार और लाल 2019, पृष्ठ संख्या-10)। शोध बताते हैं कि महिला राजनीतिक प्रतिनिधियों ने पुरुषों की तुलना में आवश्यक सार्वजनिक वस्तुओं का बेहतर वितरण सुनिश्चित किया है, समावेशी और विकेंद्रीकृत लोकतांत्रिक शासन की सच्ची भावना में जमीनी स्तर पर सतत विकास को मजबूत किया है। समावेशिता पर ध्यान देकर, परिवारों का समर्थन करने वाली नीतियों को प्राथमिकता देकर और लैंगिक समानता की वकालत करके, महिलाएँ अधिक न्यायसंगत और उत्तरदायी स्थानीय समुदाय बनाने में योगदान देती हैं (यूएन वीमेन 2024, पृष्ठ संख्या-1)। 1990 के दशक तक भारत ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बहुत कम प्राथमिकता दी, भले ही महिला मतदाताओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई हो।

73वें संवैधानिक संशोधन ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित पारंपरिक संरचनाओं और पुरुष-प्रधान राजनीतिक संरक्षण की जड़ें जमाए हुए प्रणालियों को खत्म करने का प्रयास किया और महिलाओं को अब तक पुरुषों के वर्चस्व वाली राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए सशक्त बनाया। 1990 के दशक की शुरुआत में जब संशोधन पेश किया गया था तब से लिंग संबंधी संकेतक उन गंभीर बाधाओं की ओर इशारा करते हैं जिनका सामना महिलाओं ने पहली बार जमीनी स्तर की राजनीति में प्रवेश करते समय किया था (यूएन वीमेन 2024, पृष्ठ संख्या-1)। 1992-1993 में ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता दर 34 प्रतिशत थी, जबकि 2019-2021 में यह 65.9 प्रतिशत है; 1992-1993 में ग्रामीण महिलाओं की कुल प्रजनन दर प्रति महिला 3.7 बच्चे थी। महिलाओं (20-49 आयु वर्ग में) के लिए विवाह की औसत आयु में भी सुधार हुआ है, जो 1992-1993 में 16.2 वर्ष से बढ़कर 2019-2021 में 19.2 वर्ष हो गई है (कुमार और घोष 2024, पृष्ठ संख्या-1)। संशोधन के बाद के दशकों में, भारत ने स्थानीय शासन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि देखी है। इसका प्रभाव महिला नेताओं वाले गांवों में सार्वजनिक वस्तुओं की बेहतर डिलीवरी और महिलाओं की नेतृत्व करने की क्षमताओं के बारे में रूढ़ियों के कमजोर होने में महसूस किया जा सकता है।

हालाँकि, भारत में स्थानीय सरकारों के अच्छे कामों के इर्द-गिर्द चुप्पी की साजिश दिखती है। यह तब और भी स्पष्ट हो जाता है जब निर्वाचित प्रतिनिधि महिलाएँ होती हैं। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ईडब्ल्यूआर) के योगदान को बड़े पैमाने पर कम करके आंका जाता है और उनकी उपेक्षा की जाती है, कई भारतीय पंचायतों के अध्ययनों से पता चलता है कि ईडब्ल्यूआर को कम अनुकूल प्रतिक्रियाएँ मिलने की संभावना है, भले ही उनका प्रदर्शन पुरुष निर्वाचित प्रतिनिधियों की तुलना में बेहतर हो (पंचायती राज 2021, पृष्ठ संख्या-1)। यह शोध पत्र वर्षों से ग्रामीण भारत (पंचायत स्तर पर) में स्थानीय शासन में महिलाओं की भूमिका की समीक्षा करने, उपलब्धियों को रेखांकित करने और लगातार चुनौतियों का विश्लेषण करने का प्रयास करता है। यह शोध पत्र स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नीतिगत सिफारिशें भी प्रस्तुत करता है। यह शोध पत्र इस क्षेत्र में पुस्तकों, शोध लेखों, समाचार रिपोर्टों और सर्वेक्षण रिपोर्टों सहित माध्यमिक साहित्य से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। शोधार्थी ने महिला पंचायत-स्तरीय प्रतिनिधियों, अधिकारियों और नौकरशाहों का भी साक्षात्कार लिया है, जिन्होंने पीआरआई में काम किया है। इनका उपयोग शोध पत्र के निष्कर्षों को पुष्ट करने के लिए प्राथमिक डेटा के रूप में किया गया है। यह अध्ययन केवल ग्रामीण स्तर पर स्थानीय शासन संरचनाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व तक ही सीमित है। स्थानीय शासन के शहरी निकायों में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की स्थिति इस शोध पत्र के दायरे से बाहर है।

संसद द्वारा 1992 का 73वाँ संविधान संशोधन उत्प्रेरक साबित हुआ है, जिससे 15.5 लाख से ज़्यादा महिलाओं को भारत के स्थानीय शासन में नेतृत्वकारी पदों पर लाया गया। वर्तमान समय में, 20 से ज़्यादा राज्यों-आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने अपने स्थानीय शासन में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है (कुमार और ज्योत्सना 2016, पृष्ठ संख्या-440)। बिहार जैसे कई राज्यों में स्थानीय शासन में 50 प्रतिशत से ज़्यादा महिला प्रतिनिधि हैं, जो दर्शाता है कि महिलाएँ अब उन वार्डों में भी जीत रही हैं जो उनके लिए आरक्षित नहीं थे। बिहार ने ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक कदम आगे बढ़ते हुए वर्ष 2007 में महिलाओं को स्थानीय शहरी निकायों और वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थानों में पचास प्रतिशत आरक्षण दिया था। बिहार में राजनीति और शासन, जिसे सदियों से पुरुषों का विशेषाधिकार माना जाता रहा है, अब जमीनी स्तर पर बदल रहा है। भारत महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के कुछ आयामों में अग्रणी रहा है, जिसमें महिला नेतृत्व की कई सफल कहानियाँ हैं-प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्रियों के रूप में। पंचायती राज संस्थानों में महिला नेता स्वतंत्र उपलब्धि हासिल करने वालों के रूप में अपनी भूमिका में आ गई हैं, और ऐसे क्षेत्र में अपनी जगह बना रही हैं,

जिसमें उन्हें ऐतिहासिक रूप से बाहर रखा गया है (अग्रवाल 2023, पृष्ठ संख्या-8)। नीति आयोग के शोध से पता चलता है कि बिहार में पंचायती राज संस्थानों में महिला नेताओं के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं (पेयजल, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, उचित मूल्य की दुकानें) की उपलब्धता अधिक है, और इन सुविधाओं की मापी गई गुणवत्ता कम से कम गैर-आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों जितनी ही उच्च है, जो इस तरह के सकारात्मक संवैधानिक उपायों के महत्व को उजागर करती है।

बिहार में कोई भी राजनीतिक दल बिना आधी-आबादी यानी महिलाओं के सहयोग के सत्ता हासिल नहीं कर सकती है। हालाँकि, यह भी सच्चाई है कि ये राजनीतिक दल महिलाओं को सत्ता में हिस्सेदारी देने में संकोच करती है। यदि बिहार विधानसभा में महिला भागीदारी की बात की जाए तो वर्ष 2020 के चुनाव में सिर्फ़ 26 महिला विधायक हीं निर्वाचित होकर आयी है (बिहार विधान सभा सचिवालय 2024, पृष्ठ संख्या-1)। इसी तरह से वर्तमान बिहार सरकार में कुल 36 मंत्रियों में से सिर्फ़ 3 महिला मंत्री हैं। इसी तरह की स्थिति राजनीतिक दलों के संगठन में भी देखने को मिलता है। बिहार में प्रमुख रूप से पाँच राजनीतिक दल है राजद, भाजपा, जदयू, भाकपा माले और कांग्रेस। लेकिन इनके प्रदेश स्तर के संगठन में महिलाओं की भागीदारी बेहद कम है। इसके विपरीत पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं की भागीदारी निर्धारित पचास फ़ीसदी आरक्षण से अधिक है। इस संबंध में शोधार्थी का अभिमत है कि पंचायती राज संस्थानों में भी चुनाव राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह पर होना चाहिए जिससे की विधानसभा और राजनीतिक दलों में अधिक से अधिक योग्य महिला नेत्री को समुचित स्थान मिल सके।

बिहार में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए नीति आयोग के नेतृत्व और मार्गदर्शन पहल का आकलन रिपोर्ट दिखाता है कि कैसे संरचित और पुनरावृत्त क्षमता निर्माण प्रयास महिलाओं के लिए संस्थागत और पितृसत्तात्मक बाधाओं को दूर करने में सहायक होते हैं। महिला प्रतिनिधियों ने विकास के कार्यक्रम में बाढ़-चढ़ कर भाग लिया और अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की बेहतर समझ बताई। नीति आयोग के अनुसार बिहार में स्थानीय निकायों में बैठकों के दौरान मुद्दों को उठाने की बेहतर क्षमता के रूप में ग्रामीण महिलाओं में 41 प्रतिशत अंकों की वृद्धि देखी गई (नीति आयोग 2023, पृष्ठ संख्या-1)। महिला जन प्रतिनिधियों ने पंचायत समितियों और बैठकों में भागीदारी के बारे में जागरूकता में उल्लेखनीय वृद्धि की सूचना दी। पंचायत स्तर पर स्थायी समितियों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम में उनकी भागीदारी से पहले 16 प्रतिशत से बढ़कर बाद में 71 प्रतिशत हो गई। ग्रामीण बिहार की 88 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण समितियों (वीएचएसएनसी) के बारे में जानते है। यह शोध पत्र तीन भागों में साहित्यिक समीक्षा करता है जो क्रमश: पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का क्रमिक विकास, महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण, बिहार में ग्रामीण महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण है।

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का क्रमिक विकास

भारत की संघीय राजनीतिक व्यवस्था सरकार के तीन स्तरों-राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर प्रदान करती है। स्वशासन की स्थानीय स्तर की संस्थाएं दो श्रेणियों में आती हैं: शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय और नगर परिषदें और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थान। भारत में कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा (65 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। यह पंचायती राज संस्थानों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व का एक महत्वपूर्ण साधन बनाता है जो आबादी के काफी हिस्सों के लिए रोजमर्रा के शासन और कल्याण को प्रभावित करता है। पंचायत प्रणाली में स्थानीय सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन की जिम्मेदारियों के साथ ग्राम स्तर (ग्राम पंचायत), ब्लॉक स्तर (पंचायत समिति) और जिला स्तर (जिला परिषद) पर परिषदें शामिल हैं। इन परिषदों के सदस्य स्थानीय निवासियों द्वारा चुने जाते हैं। ग्राम पंचायत का आकार लोगों और गांवों की संख्या के संदर्भ में काफी भिन्न हो सकता है, विभिन्न राज्यों में भिन्नता देखी गई है । आम तौर पर, इन पदों के लिए उम्मीदवारों को राजनीतिक दलों द्वारा आगे रखा जाता है, लेकिन उन्हें उस गाँव का निवासी होना चाहिए जिसका वे प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं (सिंह 2022, पृष्ठ संख्या-4)। परिषद निर्णय लेने के लिए बहुमत के मतदान पर निर्भर करती है, और प्रधान के पास परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों को वीटो करने का अधिकार नहीं होता है।

हालाँकि स्वशासन की स्थानीय ग्राम-स्तरीय संरचनाओं का एक लंबा इतिहास है, स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने का विचार, जैसा कि अनुच्छेद 40 में निहित है, महिलाओं के प्रतिनिधित्व का कोई स्पष्ट उल्लेख किए बिना भारतीय संविधान के राज्य नीति के गैर-प्रवर्तनीय निर्देशक सिद्धांतों के भीतर रखा गया था। विकेंद्रीकरण के मुद्दों को संबोधित करने के लिए भारत के सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कामकाज की जांच करने के लिए नियुक्त बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने सिफारिश की थी कि 20 सदस्यीय पंचायत समिति को "महिलाओं और बच्चों के बीच काम में रुचि रखने वाली" दो महिलाओं को सह-चुना या नामित करना चाहिए (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 2023, पृष्ठ संख्या-2)। महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम 1961 ने इस सुझाव का पालन किया, जिसके तहत तीन पंचायती राज संस्थान निकायों में से प्रत्येक में एक या दो महिलाओं को नामित करने की अनुमति दी गई, यदि कोई महिला उम्मीदवार नहीं चुनी जाती है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि सह-चयन या नामांकन के प्रावधान का पंचायत प्रणाली में महिला नेताओं को समायोजित करने पर सीमित प्रभाव पड़ा।

भारत में महिलाओं की स्थिति के लिए समिति ने "समानता की ओर" (1974) शीर्षक से अपनी रिपोर्ट में इस बात पर ज़ोर दिया कि ग्रामीण महिलाओं की चिंताओं और दृष्टिकोणों को सरकार की योजनाओं और विकास नीतियों में पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया गया है (श्रीवत्स 2016, पृष्ठ संख्या-1)। इसने स्थानीय स्तर पर वैधानिक महिला पंचायतों की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा लेकिन आरक्षण की वकालत नहीं की। 1978 में, पंचायती राज संस्थाओं की समिति (जिसे अशोक मेहता समिति भी कहा जाता है) ने प्रत्येक पंचायत में महिलाओं के लिए दो सीटें आरक्षित करने की सिफारिश की। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (1988) ने सिफारिश की कि गाँव से लेकर ज़िला स्तर तक कार्यकारी-प्रमुख पदों का 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए। वर्ष 1989 के असफल 64वें संविधान संशोधन विधेयक में भी यही सिफारिश की गई थी। आखिरकार, वर्ष 1993 में 73वें संविधान संशोधन (गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायतों के लिए) और 74वें संविधान संशोधन (नगर पालिकाओं के लिए) अधिनियमों के माध्यम से पंचायती राज को औपचारिक रूप से संविधान में शामिल किया गया, जिसमें महिलाओं के लिए एक तिहाई निर्वाचित सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया (कुमार और घोष 2024, पृष्ठ संख्या-2) । 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार, खंड (1) के तहत आरक्षित कुल सीटों में से कम से कम एक तिहाई सीटें अनुसूचित जातियों या, जैसा भी मामला हो, अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी (पंचायती राज मंत्रालय 2023, पृष्ठ संख्या-1)। इसमें यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों में से कम से कम एक तिहाई (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित) महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

टेबल संख्या 1: स्थानीय शासन की संवैधानिक व्यवस्था

73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1993	पंचायती राज संस्थान का प्रावधान
74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1993	स्थानीय शहरी निकाय का प्रावधान

स्रोत-ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा स्थानीय स्तर पर महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण को अनिवार्य करने से पहले, कुछ राज्यों ने पंचायतों में महिला आरक्षण को लागू करने के लिए कदम उठाए थे। वर्ष 1961 में महाराष्ट्र द्वारा बलवंत राय समिति की सिफारिशों को अपनाने के बाद, कर्नाटक ने (1985 में) मंडल प्रजा

परिषदों (स्थानीय लोगों की परिषद) में महिलाओं के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण के साथ-साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए अतिरिक्त आरक्षण शुरू किया। इसी तरह, वर्ष 1986 में, आंध्र प्रदेश ने ग्राम पंचायतों के लिए 22 प्रतिशत से 25 प्रतिशत के बीच आरक्षण की स्थापना की, जिसमें निर्वाचित महिला सदस्यों के अलावा पंचायत समिति में दो महिलाओं को शामिल करने का प्रावधान था (अब्ज़र्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन 2022, पृष्ठ संख्या-3)। हालांकि, यह संवैधानिक संशोधन ही था जिसका परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप भारत के स्थानीय शासन में नेतृत्व के पदों पर 1.45 मिलियन से अधिक महिलाओं की अंततः पदोन्नति हुई। वर्तमान में, 20 राज्यों- आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल-ने अपने स्थानीय शासन में महिलाओं के लिए आरक्षण को 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में, महिलाओं ने स्थानीय शासन में 50 प्रतिशत से अधिक प्रतिनिधित्व के साथ इस सीमा को भी पार कर लिया है।

राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण

सभी क्षेत्रों में महिलाओं का सशक्तिकरण, विशेषकर राजनीतिक क्षेत्र में, उनकी उन्नति तथा लैंगिक समानता वाले समाज की नींव के लिए महत्वपूर्ण है। समानता, विकास तथा शांति के लक्ष्यों के लिए यह केंद्रीय है। आधी सदी से भी अधिक पुराना भारतीय लोकतंत्र अगली सदी में प्रवेश कर चुका है। लेकिन अभी भी महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा राजनीतिक क्षेत्र से बाहर है। निर्णय लेने के विभिन्न स्तरों पर पुरुषों तथा महिलाओं की समान तथा आनुपातिक भागीदारी के बिना न तो सच्चा लोकतंत्र हो सकता है, न ही शासन तथा विकास में लोगों की सच्ची भागीदारी हो सकती है (कुमार 2016, पृष्ठ संख्या-6)। राजनीतिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी महिलाओं की उन्नति का अभिन्न अंग है। दुनिया भर के समाजों में एक सामान्य तीक्ष्णता यह है कि महिलाओं की प्रमुख भूमिका खाना पकाना, बच्चों तथा घर की देखभाल करना है। विभिन्न समाजों में अलग-अलग सामाजिक मानदंड तथा मूल्य होते हैं। कुछ समाजों में पुरुषों तथा महिलाओं दोनों को विशिष्ट भूमिकाएँ तथा कर्तव्य सौंपे जाते हैं। अधिकांश विकासशील देशों में महिलाओं की केवल प्रजनन भूमिका को ही मान्यता दी जाती है। ऐसी परिस्थितियों में महिलाओं के लिए जीवन के सार्वजनिक क्षेत्र में भाग लेना संभव नहीं है। इसलिए सांस्कृतिक कारक महिलाओं की राजनीति में भागीदारी में बाधा उत्पन्न करते हैं।

संस्थागत कारक भी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित कर सकते हैं। प्रति जिले में अधिक सीटों वाली चुनाव प्रणाली और सीटों के आवंटन के लिए आनुपातिक सूत्र महिलाओं की भागीदारी को बढ़ा सकते हैं। कोटा प्रणाली एक और महत्वपूर्ण संस्थागत उपकरण है जो विधायिका में न्यूनतम संख्या में महिला सीट धारकों की गारंटी दे सकता है (यूएन वीमेन 2024, पृष्ठ संख्या-3)। महिलाएं भारत में शासन बदल रही हैं। संविधान में संशोधन के परिणामस्वरूप वे अभूतपूर्व संख्या में स्थानीय परिषदों में चुनी जा रही हैं, जो स्थानीय सरकारों या पंचायती राज संस्था प्रणाली (PRI) में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण को अनिवार्य बनाती हैं। जिन महिलाओं को पंचायती राज संस्थान ने राजनीति में लाया है, वे अब शासन कर रही हैं, चाहे वह एक गांव हो या 100 गांवों या जिले जैसे बड़े क्षेत्र में। राष्ट्रीय राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणाली के पुनर्गठन की यह प्रक्रिया जनवरी 1994 में ही शुरू हुई और इसलिए सरकार के औपचारिक ढांचे में महिलाओं के प्रवेश के प्रभाव का आकलन करना जल्दबाजी होगी। पंचायती राज संस्थान ने राजनीतिक प्रणाली में जितनी महिलाओं को लाया है, उसने एक अंतर पैदा किया है (मिश्रा 2017, पृष्ठ संख्या-2)। संवैधानिक परिवर्तन के परिणामस्वरूप राजनीतिक गतिविधि के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं का प्रतिशत नाटकीय रूप से बदल गया है, जो पहले 4-5 प्रतिशत से बाद में 25-40 प्रतिशत हो गया है। लेकिन अंतर गुणात्मक भी है, क्योंकि ये महिलाएं नागरिक समाज के शासन में अपना अनुभव ला रही हैं। इस तरह वे राज्य को गरीबी, असमानता और लैंगिक अन्याय के मुद्दों के प्रति संवेदनशील बना रही हैं।

टेबल संख्या 2: राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं को सर्वाधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने वाला देश

वैश्विक स्थान	राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं को सर्वाधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने वाला देश	राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी (प्रतिशत में)
1	रवांडा	64 प्रतिशत
2	क्यूबा	56 प्रतिशत
3	निकारागुआ	54 प्रतिशत
4	अंडोरा	51 प्रतिशत
5	मेक्सिको और न्यूजीलैंड	50 प्रतिशत
150	भारत	15 प्रतिशत

स्रोत: UN Women एवं अंतर-संसदीय संघ

आमतौर पर संसद में महिलाओं का 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व हासिल करना महिला सशक्तिकरण के लिए सकारात्मक परिणाम देने वाला माना जाता है। लोकसभा में, महिलाएं संसद सदस्यों (एमपी) का केवल 15 प्रतिशत हिस्सा बनाती हैं। यह 1952 में पहली निर्वाचित लोकसभा से एक बड़ी वृद्धि है, जहां केवल 5 प्रतिशत सांसद महिलाएं थीं, लेकिन फिर भी यह पर्याप्त प्रतिनिधित्व के आदर्श से बहुत दूर है। डेटा यह भी दर्शाता है कि 20 राज्य विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों में 10 प्रतिशत से भी कम विधायक महिलाएं हैं (सिंह 2022, पृष्ठ संख्या-14)। भारत में 2024 के लोकसभा चुनावों ने भारतीय राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बारे में एक जटिल कहानी को उजागर किया है। महिला उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि के बावजूद, निचले सदन में चुनी गई महिलाओं की कुल संख्या में मामूली कमी देखी गई।

टेबल संख्या 3: लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व (प्रतिशत में)

वर्ष	महिला सांसदों का लोकभा में प्रतिनिधित्व (प्रतिशत में)
1957	5.4 प्रतिशत
1962	6.7 प्रतिशत
1977	3.4 प्रतिशत
1984	8.1 प्रतिशत
1999	8.8 प्रतिशत
2009	10.9 प्रतिशत
2019	14.4 प्रतिशत
2024	13.6 प्रतिशत

स्रोत: भारतीय निर्वाचन आयोग

वर्ष 2024 में हुए लोकसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल सबसे अधिक महिला उम्मीदवारों को चुनकर आगे रहा, जहां से 11 महिला उम्मीदवार संसदीय सीटें जीतने में सफल रहीं। वर्तमान अथवा 18वीं लोकसभा में कुल 543 सदस्यों में से 74 महिला सदस्य हैं (तिवारी 2014, पृष्ठ संख्या-5)। चुनाव आयोग द्वारा 12 फरवरी, 2025 को जारी एटलस-2024 के अनुसार, महिला भागीदारी के मामले में, महाराष्ट्र एक बार फिर 111 महिला उम्मीदवारों के साथ सबसे आगे है, उसके बाद उत्तर प्रदेश (80) और तमिलनाडु (77) का स्थान है। देश भर में 152 निर्वाचन क्षेत्रों में कोई भी महिला उम्मीदवार नहीं थी। कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने महिला उम्मीदवारों को चुनने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। त्रिपुरा और दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव (डीएनएच और डीएंडडी) ने अपने निर्वाचित सांसदों में महिलाओं का उल्लेखनीय 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दर्ज किया। इसके बाद दिल्ली में 28.6 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 27.3 प्रतिशत तथा पश्चिम बंगाल में 26.2 प्रतिशत है (अब्ज़र्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन 2025, पृष्ठ संख्या-2)। 2024 के लोकसभा चुनावों में, भारत के चुनावी इतिहास में दूसरी बार एक

और दिलचस्प प्रवृत्ति उभर कर सामने आई-राष्ट्रीय स्तर पर महिला मतदाता भागीदारी दर (वीटीआर) पुरुष मतदाताओं से आगे निकल गई। महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 65.78 प्रतिशत रहा, जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत 65.55 प्रतिशत रहा। महिलाओं और पुरुषों के बीच भागीदारी में अंतर 0.23 प्रतिशत था। 1957 में 45 में से 22 महिला उम्मीदवार जीतीं, यानी सफलता दर 48.9 प्रतिशत (अब्ज़र्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन 2025, पृष्ठ संख्या-1)। हालांकि, कुल मिलाकर, समय के साथ महिलाओं की सफलता दर में गिरावट आई है। 2024 में, चुनाव लड़ने वाली महिलाओं में से केवल 9.3 प्रतिशत ही लोकसभा में सीटें जीत पाईं। विगत कई लोकसभा चुनावों से महिला उम्मीदवारों की सफलता दर कम होते जा रही है।

टेबल संख्या 4: लोकसभा चुनाव में महिला उम्मीदवारों की सफलता दर

वर्ष	लोकसभा चुनावों में महिला उम्मीदवारों की सफलता दर (प्रतिशत में)
1957	48.9 प्रतिशत
1967	43.3 प्रतिशत
1984	25.7 प्रतिशत
1998	15.7 प्रतिशत
2019	10.7 प्रतिशत
2024	9.3 प्रतिशत

स्रोत: भारतीय निर्वाचन आयोग

चुनावों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में, पिछले 15 वर्षों में रुझान थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आम चुनाव लड़ने वाली महिलाओं की संख्या 1957 में 2.9 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2024 में दस प्रतिशत हो गई है (भारतीय निर्वाचन आयोग 2024, पृष्ठ संख्या-1)। महिलाओं के प्रतिनिधित्व में पार्टी के योगदान के मामले में भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) मुख्य योगदानकर्ता के रूप में उभरे हैं। 440 लोकसभा उम्मीदवारों में से 69 महिलाओं के साथ बीजेपी सबसे आगे है, जो 16 प्रतिशत है। कांग्रेस के 327 उम्मीदवारों में से 41 महिलाएँ थीं, जो 13 प्रतिशत है।उल्लेखनीय रूप से, छोटी पार्टियों और क्षेत्रीय खिलाड़ियों ने महिला उम्मीदवारों का अनुपात अधिक रखा है।

टेबल संख्या 5: 2024 लोकसभा में प्रमुख राजनीतिक दलों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व

राजनीतिक दल	महिला उम्मीदवार	निर्वाचित महिला सांसद
भारतीय जनता पार्टी	69	31
कांग्रेस	41	13
तृणमूल कांग्रेस	11	11
समाजवादी पार्टी	5	5
डीएमके	3	3

स्रोत: भारतीय निर्वाचन आयोग

भारत की संसद ने महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 अधिनियम पारित किया है जिसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लगभग सर्वसम्मति से समर्थन मिला। इस विधेयक में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली (निर्वाचित विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश) में सभी सीटों में से एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। बिहार में संसद के निचले सदन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 2019 में तीन से बढ़कर इस साल पांच हो गया है, हालांकि संसदीय चुनाव लड़ने वाली महिला उम्मीदवारों की संख्या में 2019 के चुनावों की तुलना में 1.3 प्रतिशत की गिरावट आई है। आंकड़ों के मुताबिक, बिहार ने 2004 में दो महिला सांसदों को, 2009 में तीन (और 2010 में उपचुनाव में एक), 2014 में दो और 2019 में तीन महिला सांसदों को चुना (कुमार 2023, पृष्ठ संख्या-1)। अविभाजित बिहार में 1999 के चुनावों में पांच महिला सांसद चुनी गई थी। कुल मिलाकर 497 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से केवल 38 महिलाएँ थीं। 2024 के चुनावों में राजद ने सबसे ज़्यादा छह महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, उसके बाद लोजपा (आरवी) और जेडी(यू) ने दो-दो महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है (अब्ज़र्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन 2025, पृष्ठ संख्या-1)। दो मुख्यधारा की पार्टियों, कांग्रेस और भाजपा ने कोई भी महिला उम्मीदवार नहीं उतारा।

टेबल संख्या 6: लोकसभा में बिहार से निर्वाचित महिला सांसद

वर्ष	लोकसभा के लिए निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या
1999	5
2004	4
2009	4
2014	3
2019	3
2024	5

स्रोत: भारतीय निर्वाचन आयोग

बिहार में कुल मिलाकर वर्ष 2024 के चुनाव में 497 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से केवल 38 महिलाएँ थीं। 2024 के चुनावों में राजद ने सबसे ज़्यादा छह महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, उसके बाद लोजपा (आरवी) और जेडी(यू) ने दो-दो महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है (अब्ज़र्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन 2025, पृष्ठ संख्या-2)। दो मुख्यधारा की पार्टियों, कांग्रेस और भाजपा ने कोई भी महिला उम्मीदवार नहीं उतारा। महिलाओं के वोटिंग परसेंटेज की बात करे तो बिहार में महिलाओं ने पहले पहले चरण को छोड़कर हर चरण में पुरुषों के मुकाबले अधिक वोट किया है। 18 लोकसभा सीटों पर महिलाओं ने पुरुष के मुकाबले 10% से अधिक वोट किया है। महिलाओं की ताकत का ही असर है कि इस बार 3 दर्जन से अधिक महिला उम्मीदवारों में पांच की जीत हुई है। एक तरफ जहां राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं सांसदों की संख्या घटी है तो बिहार की महिलाओं ने लोकसभा में अपनी संख्या बढ़ाई है।

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को देश की सरकार में प्रत्यक्ष रूप से या स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेने का अधिकार है। राजनीतिक मामलों में महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा कि उनके विचार और ज़रूरतें सार्वजनिक नीतियों में प्रतिबिंबित हों जो उनके जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करती हैं। राजनीतिक सशक्तिकरण को "राजनीतिक प्रणाली में उन्हें एकीकृत करके निर्णय लेने की प्रक्रिया, योजना, कार्यान्वयन और मूल्यांकन को प्रभावित करने की क्षमता" के रूप में परिभाषित किया जा सकता है (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 2023, पृष्ठ संख्या-1)। इसका तात्पर्य राजनीतिक भागीदारी से है जिसमें वोट देने, चुनाव लड़ने, अभियान चलाने, पार्टी की सदस्यता और सभी स्तरों पर राजनीतिक कार्यालय में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार शामिल है और प्रभावी रूप से निर्णयों को प्रभावित करता है जिससे राजनीतिक सशक्तिकरण होता है। राजनीतिक सशक्तिकरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा महिलाएं पुरुषों के बराबर उचित मान्यता प्राप्त करती हैं, ताकि वे राजनीतिक संस्थाओं के माध्यम से समाज की विकास प्रक्रिया में मानवीय गरिमा के साथ भागीदार के रूप में भाग ले सकें (भौमिक 2023, पृष्ठ संख्या-9)।

राजनीतिक सशक्तिकरण महिलाओं को नीतियों के निर्माण और उन्हें राजनीतिक प्रणाली में एकीकृत करके निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करने में एक अलग भूमिका को दर्शाता है। स्वतंत्रता के बाद से भारतीय महिलाओं का संस्थागत राजनीति में बहुत कम प्रतिनिधित्व रहा है। पिछले दो दशकों में राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में अधिक चिंता थी जिससे सशक्तिकरण हो सके। सकारात्मक कार्रवाई को राजनीतिक सशक्तिकरण के साधन के रूप में स्वीकार किया गया है (यूएन वीमेन 2024, पृष्ठ संख्या-2)। नेतृत्व केवल शासन करने के लिए ही नहीं बल्कि शासन की प्रकृति को बदलने के लिए भी

आवश्यक है। केंद्र ने पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए अपनी तरह के पहले क्षमता निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत करके " सरपंच पति " की घटना पर अंकुश लगाने की दिशा में कदम उठाया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उनकी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाना और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना है। 'सशक्त पंचायत-नेत्री अभियान' के तहत, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा " लिंग आधारित हिंसा और हानिकारक प्रथाओं को संबोधित करने वाले कानूनों" पर एक व्यापक प्राइमर भी जारी किया गया, ताकि महिला प्रधानों और पंचायत सदस्यों को गांवों में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए ज्ञान से लैस किया जा सके (पंचायती राज मंत्रालय 2024, पृष्ठ संख्या-1)।

यह पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) द्वारा गठित एक सलाहकार समिति की सिफारिशों की पृष्ठभूमि में आता है, जिसने अपनी हालिया रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि निर्वाचित महिला 'प्रधानों' के स्थान पर पतियों और अन्य पुरुष रिश्तेदारों द्वारा प्रॉक्सी नेतृत्व के सिद्ध मामलों के लिए "अनुकरणीय दंड" लागू किया जाना चाहिए (पंचायती राज मंत्रालय 2021, पृष्ठ संख्या-4)। समिति ने आगे की राह के लिए एक विस्तृत रोडमैप भी सुझाया था, जिसमें क्षमता निर्माण और मार्गदर्शन के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन से लेकर ज़मीनी स्तर से लेकर शीर्ष तक निगरानी ढाँचा शामिल था। मंत्रालय के सचिव को सौंपी गई "पंचायती राज प्रणालियों और संस्थानों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व और भूमिकाओं को बदलना: प्रॉक्सी भागीदारी के प्रयासों को खत्म करना" पर रिपोर्ट ने क्षमता निर्माण और सलाह के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन से लेकर हस्तक्षेप के साथ आगे के रास्ते पर एक विस्तृत रोडमैप का सुझाव दिया जुलाई में इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सितंबर 2023 में मंत्रालय द्वारा सलाहकार समिति का गठन किया गया था (पंचायती राज मंत्रालय 2024, पृष्ठ संख्या-1)। उपलब्ध साहित्य के शोध और राज्य सरकारों के साथ व्यापक परामर्श के अलावा, यह रिपोर्ट 14 राज्यों को शामिल करते हुए चार गहन क्षेत्रीय कार्यशालाओं के संवाद पर आधारित है।

समिति द्वारा सुझाए गए कुछ प्रमुख नीतिगत हस्तक्षेप और संरचनात्मक सुधारों में केरल की तर्ज पर कुछ पंचायत विषय समितियों और वार्ड स्तरीय समितियों में लिंग-विशिष्ट कोटा बनाना; महिला लोकपाल और महिला पंचायत नेताओं के संघ की नियुक्ति करना शामिल है (पंचायती राज मंत्रालय 2024, पृष्ठ संख्या-4)। रिपोर्ट में पंचायत बैठकों में लिंग-उत्तरदायी बजट को संस्थागत बनाने की भी मांग की गई है। रिपोर्ट में वर्चुअल रियलिटी (वीआर) सिमुलेशन प्रशिक्षण जैसे हस्तक्षेपों को अपनाकर समस्या से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने का भी आह्वान किया गया है; स्थानीय भाषाओं में महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को वास्तविक समय में कानूनी और शासन संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एआई-संचालित क्वेरी-संचालित उत्तरों को एकीकृत करना (अब्ज़र्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन 2024, पृष्ठ संख्या-2)। इसके अलावा, पंचायती राज मंत्रालय का पंचायत निर्णय पोर्टल नागरिकों के लिए बैठकों और निर्णयों में निर्वाचित प्रधानों की भागीदारी को ट्रैक करने और सार्वजनिक जवाबदेही तथा छद्म नेतृत्व को हतोत्साहित करने के लिए एक मंच के रूप में काम कर सकता है। समिति ने विधायकों और सांसदों द्वारा निर्वाचित महिला प्रधानों की प्रत्यक्ष देखरेख और जिला और ब्लॉक स्तरों पर केवल महिलाओं के लिए समर्पित निगरानी परिषदों की भी सिफारिश की है, जिसमें अनुभवी महिला निर्वाचन अधिकारी और सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हों (पंचायती राज मंत्रालय 2024, पृष्ठ संख्या-3)।सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने और उनकी स्वायत्तता की रक्षा के लिए शासन संरचनाओं में सुधार की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया है। प्रशासनिक प्रणालियों में व्याप्त प्रतिगामी मानसिकता की तीखी आलोचना करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने तथा उनकी स्वायत्तता की रक्षा के लिए शासन संरचनाओं में सुधार की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया है।

बिहार में ग्रामीण महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण

महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से शुरू होता है। जमीनी स्तर के लोकतंत्र में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की प्रारंभिक भागीदारी को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। भले ही आज की राजनीतिक व्यवस्था में स्थानीय निकायों में महिलाओं को कुछ आरक्षण प्रदान किया गया है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा इसका दुरुपयोग किया गया है, यानी महिलाओं को रबर-स्टैम्प के रूप में इस्तेमाल किया गया है (कपूर और रवि 2022, पृष्ठ संख्या-1)। वास्तविक निर्णय उनके परिवार के पुरुष सदस्य ही ले रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था के तहत महिलाओं ने भले ही पुरुषों के गढ़ में धावा बोल दिया हो, लेकिन कई मामलों में उनके पति या परिवार के पुरुष सदस्य ही फैसले लेते हैं। कथित तौर पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को उनके पुरुष रिश्तेदारों की प्रतिनिधि बना दिया गया है। पुरुष समकक्षों द्वारा वास्तविक शासन की ऐसी प्रणाली को रोकना होगा और पीआरआई में महिलाओं को उचित महत्व देना होगा। पंचायती राज संस्था में किए गए बदलावों में राजनीतिक व्यवस्था और निर्णय लेने की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का उद्देश्य उन्हें सशक्त बनाने के लिए उपयुक्त पहल और उपाय करके ही सफल हो सकता है (अग्रवाल 2023, पृष्ठ संख्या-1)। महिलाओं का सशक्तिकरण तब तक संभव नहीं होगा जब तक उन्हें राजनीतिक व्यवस्था में उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। इस उद्देश्य को राजनीतिक गतिविधियों के सबसे निचले स्तर पर भी अधिकतम संख्या में महिलाओं को राजनीतिक मामलों से जोड़ने और संबद्ध करने का प्रावधान करके वांछित स्तर पर प्राप्त किया जाना चाहिए। हाल ही में शुरू की गई पंचायती राज संस्थाओं में, महिलाओं के पक्ष में आरक्षण की नीति को स्थानीय स्तर पर उनकी भागीदारी को अधिकतम करने के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण के रूप में माना गया है।

टेबल संख्या 7: बिहार विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी

विधानसभा चुनाव	बिहार विधानसभा में महिला विधायक
वर्ष 2000	14
वर्ष 2005 फ़रवरी	23
वर्ष 2005 नवम्बर	25
वर्ष 2010	37
वर्ष 2015	28
वर्ष 2020	26

स्रोत: बिहार विधानसभा सचिवालय

पंचायती राज संस्था के संविधान के 73वें संशोधन के तहत ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत के ग्राम प्रधान पद पर अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति और सामान्य जाति की महिला सदस्यों के लिए कुल सीटों में से एक तिहाई सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की गई हैं। संकल्पनात्मक रूप से, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करना हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में लोगों की पारंपरिक धारणा को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना दृष्टिकोण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, विशेष रूप से महिलाओं को पुरुषों के अधीन रखने, कुछ अवसरों का लाभ उठाने में उनके खिलाफ घरों और समाज द्वारा प्रतिबंध लगाने और कई अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक बंधनों के संदर्भ में जो मौजूदा सामाजिक और आर्थिक सेटिंग में व्यक्तिगत जीवन शैली और स्थिति में सुधार करने के लिए उनके प्रतिकूल हैं (घोष 2022, पृष्ठ संख्या-1)। परिणामस्वरूप यह नई शुरू की गई नीति सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया में समानता बढ़ाने, आपसी समझ में विभिन्न गतिविधियों में भागीदारी, घर में स्थिति और भूमिका और घरों से बाहर की गतिविधियों और पुरुषों और महिलाओं के बीच परिवार की विभिन्न निर्णय लेने की प्रक्रियाओं की संभावनाओं को बढ़ाएगी। विभिन्न विकास कार्यक्रमों की शुरूआत के प्रति निर्वाचित महिलाओं का रवैया और इरादा तथा शुरू किए गए कार्यक्रमों से गांव की आबादी के विभिन्न वर्गों को जोड़ने के लिए प्रयास करने की क्षमता जैसे कारक भी ग्राम पंचायतों के सामाजिक परिवेश में महिला प्रतिनिधियों की स्थिति

में सुधार लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिणामस्वरूप इस प्रक्रिया से महिलाओं के सशक्तीकरण में वृद्धि और मजबूती आएगी।

वर्ष 2001 में ही बिहार में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण दिया गया, जो 1992 में 73वें संविधान लाया गया था। उसी के आलोक में एक तिहाई का आरक्षण पूरे देश में लागू किया गया। 2001 के बाद फिर 2006 में 1992 अधिनियम के तहत उसकी जगह पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने लगे जो अब तक चल रहा है (अग्रवाल 2023, पृष्ठ संख्या-2)। वर्ष 2001 से हर 5 साल पर पंचायत चुनाव हो रहे हैं। 2006 में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण मिला जिसके बाद पंचायत का स्वरूप और बदला। महिला पंचायत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी। जो महिला घर की चारदीवारी में कैद थी, वह पंचायत का प्रतिनिधित्व करने लगी। वर्ष 2005 में सत्ता में आने के बाद से ही नीतीश कुमार महिलाओं के लिए कई अग्रणी कल्याणकारी कदम उठाकर और बिहार को अन्य राज्यों के लिए एक ट्रेंड-सेटर बनाकर 'आधी आबादी' को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं (सौम्या 2023, पृष्ठ संख्या-1)। महिलाओं के लिए कल्याणकारी कदमों ने पिछले 16 वर्षों में नीतीश को चुनावी लाभ भी दिलाया है। लेकिन शिक्षाविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि 'आधे हम, आधा हमारा' के सपने को साकार करने के लिए राज्य को अभी भी लंबा सफर तय करना है।

पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण ने एक तरह की सामाजिक क्रांति की नींव रखी, जिसे बाद में कई अन्य राज्यों ने भी अपनाया, वर्ष 2007 में शुरू की गई मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना और छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना ने न केवल बिहार को दुनिया भर में प्रशंसा दिलाई, बल्कि बड़े पैमाने पर स्कूलों में छात्राओं के नामांकन का मार्ग भी प्रशस्त किया। वर्ष 2008 में शुरू की गई मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना और सभी राज्य सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत कोटा ने उनके सशक्तिकरण उपायों को और बढ़ावा दिया (गडेकर 2016, पृष्ठ संख्या-4)। सूची में नवीनतम हैं ब्याज मुक्त 10 लाख रुपये की ऋण योजना, जिसमें आधी सब्सिडी महिलाओं के उद्यमिता और वित्तीय सशक्तीकरण के लिए है और ब्लॉक और पुलिस स्टेशन स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख के रूप में 35 प्रतिशत सीटें उनके लिए बुक की गई हैं, इससे निस्संदेह आने वाले वर्षों में बड़े पैमाने पर समाज को लाभ होगा (घोष 2023, पृष्ठ संख्या-5)। अब तक की योजनाएं, निस्संदेह, महिलाओं को सशक्त बनाने में आंशिक रूप से सफल रही हैं, लेकिन शिक्षा की कमी के कारण अपेक्षित परिणाम मिलने में समय लगेगा। बदलाव दिखाई दे रहे हैं और बिहार में 2005 से पहले के दौर की तुलना में अब महिलाएं अपने अधिकारों के बारे में बेहतर जागरूक हैं। पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत कोटा गेमचेंजर साबित हुआ, बिहार जैसे राज्यों में पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या से अधिक महिला प्रतिनिधि हैं। महिलाएं घरेलू कामकाज संभालने के साथ ही पंचायत का काम भी बखूबी निभा रही हैं। इससे जाहिर होता है कि अगर महिलाओं को सही मार्गदर्शन और मौका मिले तो वह हर क्षेत्र में शानदार उपलब्धि हासिल कर सकती है। ऐसे में पंचायत स्तर पर महिला प्रतिनिधि के क्षमता विकास पर जोर देकर सशक्तिकरण की राह को आसान बनाया जा सकता है।

पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) में महिलाओं के लिए आरक्षण को राजनीतिक जागरूकता, आत्मविश्वास और क्षेत्र के विकास और सामाजिक मुद्दों में भागीदारी के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साधन के रूप में देखा गया। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 उत्प्रेरक साबित हुए, जिससे 15.5 लाख से अधिक महिलाओं को भारत के स्थानीय प्रशासन में नेतृत्व के पदों पर प्रवेश मिला (श्रुति 2014, पृष्ठ संख्या-9)। इन संशोधनों ने, अन्य बातों के अलावा, महिलाओं के लिए पंचायत के भीतर सीटों और महत्वपूर्ण पदों के एक तिहाई आरक्षण के साथ पंचायत स्तर पर आबादी को सत्ता की बागडोर सौंपी। उपरोक्त के अलावा, इन संशोधनों ने सभी राज्यों के लिए ग्राम पंचायत और नगरपालिका चुनाव आयोजित करना भी अनिवार्य बना दिया और इन निकायों को स्थानीय स्तर पर विकास गतिविधियों को करने का अधिकार दिया। जब बिहार ने वर्ष 2006 में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया, तो इसे सीएम नीतीश कुमार ने एक मूक क्रांति के रूप में प्रचारित किया। वह क्रांति जिसने राज्य के पंचायत निकायों में 2.6 लाख सीटों में से आधे पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया। जहां एक ओर यह लाखों महिलाओं के लिए एक सपना सच होने जैसा था, वहीं यह राज्य की 14 करोड़ की आधी आबादी के लिए एक नए तरह का सशक्तिकरण था, जो शासन में अपनी बात रखने के लिए बेताब थी। परिणाम सुखद आश्चर्यजनक था: 2010 के विधानसभा चुनावों में मतदान के समय महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक थी; 54.85 प्रतिशत महिलाओं ने मतदान किया, जबकि 50.7 प्रतिशत पुरुष थे। अब तक, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने अपने पीआरआई में महिलाओं के लिए आरक्षण मानदंड को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है (नीति आयोग 2023, पृष्ठ संख्या-1)। बिहार जैसे राज्यों में पंचायती राज संस्थानों में 50 प्रतिशत से अधिक महिला प्रतिनिधि हैं, जो इस तथ्य का संकेत है कि अधिक से अधिक महिलाएँ अब उन वार्डों में विजयी हो रही हैं जो उनके लिए आरक्षित नहीं थे। राज्य में हर पांच साल में कुल 8,442 मुखिया, इतनी ही संख्या में सरपंच, 11,566 पंचायत समिति सदस्य, 1,162 जिला परिषद सदस्य और 1.58 लाख पंचायत वार्ड सदस्य चुने जाते हैं (अब्ज़र्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन 2024, पृष्ठ संख्या-2)। उनमें से, 50 प्रतिशत कोटा के अनुपालन में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या 71,046 है।

टेबल संख्या 8: लोकसभा चुनाव में बिहार में महिला मतदान व्यवहार

वर्ष	कुल मतदान प्रतिशत (लोकसभा चुनाव)	महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत
2019	57.33 प्रतिशत	59.58 प्रतिशत
2024	53 प्रतिशत	59.45 प्रतिशत

स्रोत: भारतीय निर्वाचन आयोग

पंचायत में लीडरशिप का रोल मिलने के बाद से जब महिलाएं घर से बाहर निकलने लगीं तो स्वतंत्र वोट देना और बढ़ा। वहीं जो लड़कियां घर से बाहर निकलीं और जो अब पहली वोटर हैं वो भी स्वतंत्र वोट करती हैं, ना कि किसी के प्रभाव में आकर। बिहार में महिला वोटर्स की संख्या 3 करोड़ 39 लाख 7 हज़ार 979 है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का जो अंतिम प्रारूप प्रकाशित किया है, उसके मुताबिक़, बिहार के गोपालगंज में महिला वोटरों का अनुपात सबसे अधिक है। गोपालगंज में प्रति हज़ार पुरुष मतदाताओं पर महिला मतदाताओं की संख्या लगभग 992 है (बिहार पंचायती राज विभाग 2024, पृष्ठ संख्या-3)। वहीं सबसे कम पुरुष-महिला अनुपात मुंगेर में है। यहां प्रति हज़ार पुरुषों पर 848 महिलाएं ही हैं, लेकिन बिहार चुनाव के लिहाज़ से सबसे अहम और ख़ास बात यह भी है कि यहां मतदान करने में महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों की तुलना में हमेशा बेहतर रहा है। साल 2010 में बिहार में कुल 52.67 प्रतिशत मतदान हुआ था। इस मतदान में 54.49 प्रतिशत महिलाओं ने मतदान किया था। वहीं पुरुषों का मत प्रतिशत 51.12 प्रतिशत ही रहा था। साल 2015 के चुनावों में 56.66 प्रतिशत मतदान हुआ और इसमें महिलाओं का वोट प्रतिशत जहां 60.48 प्रतिशत रहा वहीं पुरुष का वोट प्रतिशत 53.32 प्रतिशत था (अब्ज़र्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन 2024, पृष्ठ संख्या-4)। आंकड़ों के आधार पर यह स्पष्ट है कि महिला वोटर जिसे चाहें उसे सत्ता की चाबी सौंप सकती हैं।

टेबल संख्या 9: बिहार विधान सभा चुनाव में महिला मतदान व्यवहार

चुनाव वर्ष	पुरुष मतदान प्रतिशत	महिला मतदान प्रतिशत
2015	53.66	60.48
2020	54.68	59.69

स्रोत: भारतीय निर्वाचन आयोग

चुनाव आयोग के द्वारा सत्रहवीं विधानसभा चुनाव में मतदान से संबंधित आंकड़े जारी किया गया था जिसके अनुसार बिहार में तीन दौर में संपन्न हुए चुनाव में 57.05 मतदाताओं ने कुल मतदान किया है। वहीं, पुरुषों की तुलना में 5.01 फीसद से ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया है। 243 सीटों पर पुरुषों ने जहां 54.68 फीसद मतदान किया। वहीं, आधी आबादी ने 59.69 फीसद भागीदारी सुनिश्चित की। 2015 के चुनाव से तुलना करें तो 56.66 फीसद मतदान हुआ था। इसमें महिलाओं ने 60.48 फीसद मतदान किया था वहीं, लोकतंत्र के महापर्व में पुरुषों 53.32 भागीदारी रही थी (भारतीय निर्वाचन आयोग 2024, पृष्ठ संख्या-1)। बिहार के महिला पुरुष अनुपात पर गौर करें तो गोपालगंज में महिला मतदाताओं का अनुपात सबसे अधिक गोपालगंज जिले में है। बिहार के गोपालगंज जिले में प्रति हजार पुरुष मतदाताओं पर महिला मतदाताओं की संख्या लगभग 992 है। वहीं, सबसे कम पुरुष-महिला अनुपात मुंगेर जिले में हैं। यहां प्रति हजार पुरुषों की तुलना में 848 महिला मतदाता की संख्या हैं। पर, लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेने के मामले में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से हमेशा ज्यादा रही है।

निष्कर्ष

हमारे देश में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना से महिलाओं को एक अच्छे प्रशासक, निर्णयकर्ता या अच्छे नेता के रूप में अपनी योग्यता सिद्ध करने का अवसर मिलता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 इस संबंध में एक मील का पत्थर है। यह महिलाओं को आगे आने का अवसर प्रदान करता है। यह प्रयोग विशेष रूप से महिलाओं को अपने घरों से बाहर आने और प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र में भाग लेने का अवसर प्रदान करके एक बड़ी सफलता साबित हो रहा है। यह विचार करना होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्था की स्थापना के प्रारंभिक चरण में ग्राम पंचायतों में अच्छी तरह से योग्य महिलाओं को शामिल करना सामाजिक स्थिति में सुधार और महिलाओं को सशक्त बनाने की योजना बनाने में एक महत्वपूर्ण सहायक उपाय होगा। महिलाएं हमारे देश की आधी आबादी का गठन करती हैं। दुनिया के ऐसे सबसे बड़े लोकतंत्र में महिलाओं को प्रोत्साहित करना हमारा कर्तव्य है। महिलाओं को उचित दर्जा देने के लिए, सरकार, गैर सरकारी संगठनों और विश्वविद्यालयों को इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। महिलाओं के इस समूह को अगर गांव की पंचायती स्तर पर प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वे मजबूती से उठ खड़े होंगे और महिलाओं की बेहतरी से जुड़े मुद्दों को संभाल सकते हैं, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभा सकते हैं और बैठक में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए उपयुक्त सिफारिशें कर सकते हैं। इससे महिलाओं को सेवाओं के डिजाइन और प्रावधानों और संसाधनों के प्रबंधन पर अधिक नियंत्रण रखने के अवसर मिलते हैं। स्थानीय राजनीति में पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली महिलाओं की अच्छी संख्या, लिंग संबंधी एजेंडे को आगे बढ़ाना लिंग समानता की दिशा में एक रास्ता माना जाता है।

भारत में पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान बहुत फायदेमंद रहा है। इसका सबसे बड़ा लाभ तो बिहार में। देखने को मिल रहा है जहाँ गांव-गांव में महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ है। यह सच्चाई है कि स्थानीय स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के मामले में बिहार भारत का शीर्ष राज्य है। हालांकि, इस क्षेत्र में अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। कहने का मतलब यह है कि पंचायती संस्थानों में महिलाओं का कारगर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में आने वाली तमाम बाधाओं और चुनौतियों को दूर करने के लिहाज़ से अभी बहुत कुछ किया जाना बाक़ी है। इसके लिए संस्थागत और प्रशासनिक सुधारों को अमल में लाने और महिला प्रतिनिधियों के कौशल विकास व उनकी क्षमता निर्माण से जुड़े कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही महिला प्रतिनिधियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों से जुड़े हर तरह के आंकड़ों को जुटाना भी बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसा करने से न केवल महिलाओं की राजनीतिक हैसियत सशक्त होगी, बल्कि भारत की चुनावी राजनीति में महिलाओं की बराबरी की भागीदारी सुनिश्चित करने का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

बिहार में लंबे समय से महिला सशक्तीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। वर्ष 2007 से शहरी स्थानीय निकायों में भी महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की शुरुआत हुई। वर्ष 2006 से ही महिलाओं को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है और 2016 से सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। बिहार आज देश का इकलौता राज्य है, जहां महिला पुलिसकर्मियों की भागीदारी देश में सबसे अधिक है। इसके अलावा मेडिकल, इंजीनियरिंग और खेल विश्वविद्यालयों के तहत संस्थानों में छात्राओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं, जो भारत में पहली बार है। इसके अलावा, महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने के लिए जीविका नाम से एक परियोजना शुरू की गयी। तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसी तर्ज पर आजीविका कार्यक्रम शुरू किया था। अब तक, 10.47 लाख स्वयं सहायता समूह बनाए जा चुके हैं, जिनमें 1.3 करोड़ से अधिक महिलाएँ जीविका दीदियाँ हैं।

नीतीश कुमार ने वर्ष 2006 में बिहार में पंचायत चुनाव में 50 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए दिया था और उसका असर अब दिखने लगा है। ऐसे महिलाओं का प्रदर्शन बहुत बेहतर नहीं रहा है। 2004 से 2019 तक के चुनाव में देखे तो 163 महिलाओं ने भाग्य आजमाया था और उसमें से अधिकांश उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। लेकिन अब बेहतर स्थिति देखने को मिल रही है। इस चुनाव में केवल 39 महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ी थी और उसमें से पांच महिला सांसद चुनी गई हैं। बिहार में 2010 के बाद से लगातार महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। साल 2020 विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं ने जमकर वोटिंग किया था और उससे पहले 2019 लोकसभा चुनाव में भी महिलाओं ने करीब चार प्रतिशत अधिक वोटिंग किया था। अब एक बार फिर से महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले 8 प्रतिशत अधिक वोटिंग किया है और लोकसभा में अपनी दमदार उपस्थिति भी दर्ज कराई है। यह तब हुआ है जब राष्ट्रीय स्तर पर महिला उम्मीदवार इस बार कम संख्या में चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंची हैं। राजनीतिक जानकार भी कहते हैं कि बिहार में राजनीति में बढ़ते महिलाओं के प्रभाव का असर आने वाले विधानसभा चुनाव में भी दिखेगा और जब 2029 से महिलाओं के लिए आरक्षण लागू हो जाएगा तब इनका दबदबा और बढ़ेगा। निष्कर्ष में कह सकते हैं की बिहार की राजनीति में महिला किंमेकर की भूमिका में है।

संदर्भ सूची

1. घोष, अम्बर कुमार (2024), "भारतीय संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व: प्रगति का मापन, बाधाओं का विश्लेषण", अब्ज़र्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन, URL: https://www.orfonline.org/research/women-s-representation-in-india-s-parliament-measuring-progress-analysing-obstacles
2. विश्व बैंक समूह (2024), राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं द्वारा धारित सीटों का अनुपात (प्रतिशत), URL: https://data.worldbank.org/indicator/SG.GEN.PARL.ZS
3. यूएन वीमेन (2024), तथ्य और आंकड़े: महिला नेतृत्व और राजनीतिक भागीदारी, URL: https://www.unwomen.org/en/articles/facts-and-figures/facts-and-figures-womens-leadership-and-political-participation
4. यूएन वीमेन (2024), भारत में महिला विधायकों के लिए सीटें आरक्षित करने का कानून पारित, URL:
5. https://www.unwomen.org/en/news-stories/feature-story/2023/10/india-passes-law-to-reserve-seats-for-women-legislators

6. कुमार, सुनैना और घोष, कुमार अम्बर (2024), "भारत में स्थानीय ग्रामीण सरकारों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि: प्रभाव और चुनौतियों का आकलन", अब्ज़र्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन, URL: https://www.orfonline.org/research/elected-women-representatives-in-local-rural-governments-in-india-assessing-the-impact-and-challenges
7. पंचायती राज मंत्रालय (2021), पंचायत प्रणाली में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, URL:
8. https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1776866
9. अग्रवाल, स्मिता (2023), बिहार में पंचायत नेताओं के रूप में महिलाओं का एक अध्ययन, URL:
10. https://link.springer.com/chapter/10.1057/9781137547064_13
11. पंचायती राज मंत्रालय (2020), पंचायतों में प्रतिनिधित्व, URL: https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage
12. सिंह, आकांक्षा (2022), पंचायती राज संस्थाओं में महिलाएँ, इकोनोमिक एंड पोलिटिकल वीक्ली, खंड-57, अंक-3, पृष्ठ संख्या-12-22
13. पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार (2023), बिहार में पंचायती राज संस्थानों की कार्य प्रक्रिया, URL: https://cag.gov.in/uploads/download_audit_report/2017/Chapter_1_An_overview_of_functioning_of_the_panchayati_raj_institutions_in_bihar_of_report_no.4_of_2017__Local_Bodies_Government_of_Bihar.pdf
14. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (2023), आरक्षण से भागीदारी तक : पंचायती राज संस्थानों में महिला प्रतिनिधित्व, URL: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/in/from_reservation_to_participation.pdf
15. श्रीवत्स, पी॰ (2016), "महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण और पंचायती राज", योजना मैगज़ीन, खंड-1, अंक-10, URL: http://yojana.gov.in/public-account_2016sep.asp
16. कुमार, अनिल और ज्योत्सना, के॰ यामिनी (2016), "पंचायती राज संस्थानों द्वारा महिला सशक्तिकरण", इंडियन जर्नल ऑफ़ पोलिटिकल साइयन्स, खंड-50, अंक-4, पृष्ठ संख्या-437-444
17. मिश्रा, केशरी नंदन (2017), "पंचायती राज संस्थान द्वारा महिला सशक्तिकरण", नेशनल जर्नल ऑफ़ मल्टी डिसिपलिनरी रीसर्च एंड डिवलप्मेंट, खंड-2, अंक-2, पृष्ठ संख्या-168-171
18. तिवारी, नुपुर (2014), "ज़मीनी स्तर पर सशक्तिकरण के साधन के रूप में पंचायती राज संस्थाएँ", जर्नल ऑफ़ पोलिटिक्स एंड गवर्नन्स, खंड-1, अंक-1, पृष्ठ संख्या-12-20
19. सुकुमार, एन॰ और लाल, एल डेविड (2019), "पंचायती राज संस्थाओं में समावेशिता", जर्नल ऑफ़ सोशल इंक्लूज़न स्टडीज़, खंड-5, अंक-1, पृष्ठ संख्या-1-12
20. बसुमतारी, मोनजिता, रानी, डॉ. सीमा (2002), "भारत में महिला सशक्तिकरण के माध्यम से पंचायती राज संस्था के प्रदर्शन का मूल्याँकन", जर्नल ऑफ़ पॉज़िटिव स्कूल साइकोलाजी, खंड-6, अंक-9, पृष्ठ संख्या-22-30
21. श्रुति, आई.एल. (2014), "पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का सशक्तिकरण: मीडिया की भूमिका", जर्नल ऑफ मीडिया एंड सोशल डेवलपमेंट, खंड-2, अंक-1, पृष्ठ संख्या-2-11
22. गडेकर, उमेश (2016), "महिला प्रतिनिधि और राजनीतिक सशक्तिकरण : पंचायती राज संस्थानों में महिला प्रतिनिधि का अध्ययन", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ सोशल साइयन्स, खंड-5, अंक-5, पृष्ठ संख्या-6-9
23. नीति आयोग (2022), शिक्षा, कौशल और सूक्ष्म-वित्तपोषण के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण, URL: https://www.niti.gov.in/empowerment-women-through-education-skilling-micro-financing
24. यूएन वीमेन (2024), भारत भर में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना, URL: https://asiapacific.unwomen.org/en/countries/india
25. नीति आयोग (2022), भारत में महिला सशक्तिकरण का एक चित्रण, URL: https://dmeo.gov.in/article/portrait-womens-empowerment-india
26. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (2022), महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं/कार्यक्रम, URL: https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1795471
27. अब्ज़र्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन (2025), बजट 2025-26 और महिला सशक्तिकरण: क्या भारत अपने लैंगिक लक्ष्यों को पूरा कर रहा है?, URL: https://www.orfonline.org/expert-speak/budget-2025-26-and-women-s-empowerment-is-india-meeting-its-gender-goals
28. कुमार, सुनैना (2023), "महिलाओं का वित्तीय समावेशन: भारत से वर्तमान साक्ष्य", अब्ज़र्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन, URL: https://www.orfonline.org/research/financial-inclusion-of-women-current-evidence-from-india
29. भौमिक, सौम्या (2023), भारतीय राजनीति में महिला सशक्तिकरण की गतिशीलता, अब्ज़र्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन, URL: https://www.orfonline.org/expert-speak/dynamics-of-womens-empowerment-in-indian-politics
30. अब्ज़र्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन (2023), महिला सशक्तिकरण, https://www.orfonline.org/index.php/tags/women's-empowerment
31. अब्ज़र्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन (2023), भारत की आर्थिक प्रगति में महिलाओं की भूमिका को आगे बढ़ाना, URL: https://www.orfonline.org/expert-speak/advancing-women-s-role-in-india-s-economic-progress
32. अब्ज़र्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन (2020), ग्रामीण भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण का आकलन आज, URL: https://www.orfonline.org/search?q=assessing-the-empowerment-of-women-in-rural-india-today
33. भौमिक, सौम्या (2023), "भारतीय राजनीति में महिला सशक्तिकरण की गतिशीलता", अब्ज़र्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन, URL: https://www.orfonline.org/expert-speak/dynamics-of-womens-empowerment-in-indian-politics
34. भौमिक, सौम्या (2023), "भारतीय राजनीति में महिलाएँ: विधायी प्रतिनिधित्व से परे", अब्ज़र्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन, URL: https://www.orfonline.org/expert-speak/women-in-indian-politics-beyond-legislative representation
35. घोष, कुमार अम्बर (2024), सशक्तीकरण के लिए प्रेरणा के रूप में लोकतंत्र: महिला प्रतिनिधित्व की दुविधा का विश्लेषण, अब्ज़र्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन, URL: https://www.orfonline.org/expert-speak/democracy-as-an-impetus-for-empowerment-dissecting-the-women-s-representation-dilemma
36. घोष, कुमार अम्बर (2022), "भारतीय संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व: प्रगति का मापन, बाधाओं का विश्लेषण", अब्ज़र्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन, URL: https://www.orfonline.org/research/women-

s-representation-in-india-s-parliament-measuring-progress-analysing-obstacles

37. कपूर, मुदित और रवि, शमिका (2022), "समावेशी लोकतंत्र का मार्ग: भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का मापन (1951-2019)", अब्ज़र्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन, URL: https://www.orfonline.org/research/the-road-to-inclusive-democracy-measuring-the-political-participation-of-women-in-india-1951-2019